न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–169/10 (2010/00030) वाद पत्र

उनवान

1–गजरी पुत्री नंगजीराम बलाई निवासी पीथलपुरा हाल नान्दशा जागीर तहसील रायपुर

वादीया

बनाम

1–नारायण आत्मज गेना बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–रामा वल्द गोकल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–छोगा वल्द पन्ना बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–मोहन वल्द बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–गोपी वल्द बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–बरदी बेवा बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–झुमा पिता भुरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–मोटा पिता भुरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–रतनसिंह पिता बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–शंभुसिंह पिता बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–मूलसिंह पिता बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–मदनकंवर पत्नि बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–श्रीमान् तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – अधिवक्ता वादिया
2. आर.के.बलाई, एम.एस. चुण्डावत – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 03.03.2021

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में संवत 2010 से 2012 की जमाबन्दी में खाता संख्या 30 में दर्ज आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा वादीया के बड़े पिता हजारी व पिता नंगजीराम वल्द लक्ष्मणजी का 1/2 हिस्सा था तथा घीसा, गोकल पिता गिरधारी का 1/2 हिस्सा दर्ज था नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में वादीया के पिता नंगजीराम का नाम हटा दिया गया व वादीया के बड़े भाई हजारी वल्द लक्ष्मण का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादीया के पिता स्व.[illegible] आराजी संख्या 166/7 रकबा 5 बीघा श्री हजारी पिता लछमण जी बला[illegible] पर संवत 2039 से 2043 की जमाबन्दी में दर्ज है नकल जमाबन्दी [illegible] है। वादीया के पिता व पिता के बड़े भाई स्वय हजारी जी की मैं वादीया [illegible] पिता व स्व. [illegible] जी ने अपनी जीवनकाल में कभी भी किसी [illegible] पुत्र [illegible], फिर भी संवंत 2[illegible] 2051 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 120 रकबा 5 पांच बीघा 5 पांच बिस्वा भूमियों के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 एक के नाम पर गलत दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 284 के जरिये पुरानी आराजी संख्या 120 व 166/7 को प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 नारायण के नाम पर विरासत से दर्ज कर दी गई व मृतक हजारी को गौद पुत्र बता दिया गया जबकि वादीया के पिता व पिता के भाई हजारी जी ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 एक को गौद पुत्र नहीं बनाया नामान्तरकरण की नकल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रतिवादी नारायण गेना जी का पुत्र है तथा गेना जी समस्त कृषि भूमियों पर काबिज है तथा सवत् 2048 से 2051 की जमाबन्दी में खाता संख्या 52 में नारायण वल्द गेना दर्ज है तथा खाता संख्या 53 में नारायण मु. हजारी दर्ज कर रखा। खाता संख्या 54 में नारायण मु. हजारी 1/2 दर्ज कर दिया तथा खाता संख्या 55 पचपन नारायण वल्द गेना का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश की है। ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर में भू प्रबंध होने से पुरानी आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा के नवीन आराजी नं. 165 रकबा 1.13 है0 बने तथा पुरानी आराजी संख्या 166/7 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी नं. 466 रकबा 1.08 है0 बने। मिलान क्षेत्रफल व वर्तमान जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्के आबादी में आराजी संख्या 75 रकबा 3 बिस्वा संवत् 2044 से 2048 की जमाबन्दी में वादीया के पिता व पिता के बड़े भाई हजारी वल्द लछमण का 1/4 हिस्सा दर्ज था, जिसका नामान्तरकरण भी विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 एक के नाम पर दर्ज कर दिया गया। इसी चाह में प्रतिवादी संख्या 1 एक नारायण वल्द गेना का 3/32 तीन बटा बत्तीस हिस्सा दर्ज कर रखा है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। ग्राम पीथलपुरा में भू प्रबंध हो जाने से आचा संख्या 75 के नवीन आचा संख्या 105 रकबा 0.03 है0 दर्ज हुआ। मिलान क्षेत्रफल की नकल व वर्तमान जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है। स्व० नगजी की मैं वादीया जायन्दा पुत्री हूँ तथा स्व० हजारी जी व नगजी लछमण जी के पुत्र है तथा दोनों के स्वर्गवास होने पर मैं वादीया ही प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हूँ। प्रतिवादी संख्या 1 एक को वादीया के पिता व पिता के बड़े भाई ने कभी दत्तक नहीं लिया फिर भी पटवारी व ग्राम पंचायत से मिलकर अपने आपको स्व0 हजारी जी व नगजीराम जी का उत्तराधिकारी बन गलत तरीके से कृषि भूमियां स्वयं के नाम पर दर्ज करवा ली, जो अवैध है तथा मुझ वादीया का नाम ही स्व० हजारी जी व नगजीराम जी के खातेदारी कृषि भूमिया विरासत से मुझ वादीया के नाम पर दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम पर दर्ज करा दी। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की डिक्री प्रदान कराई जाय कि वादग्रस्त कृषि भूमियों मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादीया को वर्तमान आराजी संख्या 165 के 1/2 हिस्से की खातेदार का काश्तकार घोषित कराई जाए साथ ही बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणा कराई जावे कि वर्तमान आराजी संख्या 466 रकबा 1.08 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 पर गलत दर्ज कर दी गई जिस पर वादीया का कब्जा चला आ रहा है व मृतक हजारी की वादीया ही वारीस होने से वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कराई जाय एवं आराजी संख्या 105 रकबा 0.03 है0 में 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की डिक्री बहक वादीया के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 प्रदान कराई जाय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर दिनांक 15.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना मे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल

पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 13 फौरमल पक्षकार होने से कोई राहत नही चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में अकंन किया कि वाद पत्र को अस्वीकार करते हुए बताया कि ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी को खाता संख्या 30 मे दर्ज आराजियात के खातेदारान से वादिया का कोई रिश्ता नही है वादिया ने उक्त खातेदारान् से मनगढन्त रिश्ता कायम कर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक नंगजीराम का नाम हटाकर हजारी के नाम 1 / 2 हिस्से से दर्ज किया जाना अंकित हैं जो स्वीकार है। वादिया ने हजारी को अपना बड़ा पिता बताया है जो गलत है चूंकि नंगजीराम लाऔलाद फौत हो चुका था एवं उसका एक मात्र जिवित वारिस उसका बड़ा भाई हजारी होकर मौजुद था इसलिये नंगजीराम के बजाय हजारी के नाम उक्त भूमि में दर्ज रेकार्ड की गई। हजारी पिता लक्ष्मण बलाई के नाम भूमियां दर्ज होने का कथन हैं स्वीकार है। वादिया का ग्राम पीथलपुरा से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नही हैं। स्वर्गीय हजारी जी ने अपने जीवनकाल में मुझ प्रतिवादी को गौद रखा था जिससे हजारी जी की मृत्यु के बाद उनके नाम दर्ज भूगि मुझ प्रतिवादी के नाम सही दर्ज की गई। प्रतिवादी का गैना जी का पुत्र होना अंकित है स्वीकार है और नारायण मुतबन्ना हजारी अंकित है जो स्वीकार हैं। चूंकि प्रतिवादी के पिता गेना जी की मृत्यु के उपरान्त उनके नाम दर्ज भूमिया प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड हो चुकी होकर उसके बाद उसके गौद पिता हजारी जी की मृत्यु हुई एवं गेना जी की मृत्यु के बाद ही हजारी जी ने मुझ प्रतिवादी को अपने गौद रखा था इसलिये इस कलम में अंकित नारायण पिता गेना एवं नारायण मुतबन्ना हजारी सही होकर स्वीकार हैं जो सही दर्ज रेकार्ड है। वादिया स्वर्गीय नंगजी जी की जायन्दा पुत्री नही है और न ही उसका नंगजीराम अथवा हजारी जी से किसी प्रकार का खुन का रिश्ता है और न ही वादिया स्वर्गीय नंगजीराम एवं हजारी के नाम दर्ज भूमियों में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार रखती है स्वर्गीय हजारी जी का दत्तक पुत्र होने के नाते मुझ प्रतिवादी के नाम कृषि भूमिया सही दर्ज की गई है वादिया सोमाणिया – निवासी पैमा जी बलाई की पुत्री होकर उसका ग्राम पीथलपुरा से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नही है मात्र प्रतिवादी को परेशान करने की गरज से उसने मिथ्या तथ्यों पर आधारित यह वाद पत्र पेश किया हैं जो काबिल खारिज योग्य है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि वादीया ग्राम सोमाणिया निवासी पेमा जी बलाई की पुत्री होकर वर्तमान में ससुराल में निवास कर रही है उसका पीथलपुरा वादग्रस्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। प्रतवादी के मूल पिता गेना के नाम दर्ज भूमियां उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी के नाम दर्ज हुई है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सव्यय खारीज फरमावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई—

वादिया अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में साबिक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि की जमाबन्दी संवत 2010 से 2012 पेश की जिसमें के बड़े पिता हजारी एवं नगंजीराम का 1 / 2 हिस्सा [illegible] की जमाबंदी में वादिया के पिता नंगजीराम को लाऔलाद बताकर नंगजीराम का नाम [illegible] बड़े पिता हजारी का नाम 1 / 2 के रूप में दर्ज हो जाने का रेकार्ड पेश किया इसी के [illegible] साबिक आराजी संख्या 166 / 7 रकबा 5 बीघा भूमि हजारी पिता लक्ष्मण [illegible] जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 की पेश की गई उक्त जमाबंदीयों में दर्ज खाते [illegible] हजारी एवं नंगजीराम दोनो की एकमात्र विधिक वारीस वादिया है प्रतिवादी संख्या 1 नारायण पिता गेना द्वारा गोदपुत्र की हैसियत से नामान्तरणकरण 284 से सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करा दी जमाबंदी 2048 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

2051 की पेश गई। वादिया के जिम्मे की तनकियो के समर्थन में पी–1 से पी–7 तक रेकार्ड पेश किया गया जिससे वादिया का वाद प्रमाणित होता है वादिया की पुश्तैनी प्रोपर्टी है वादिया जायन्दा पुत्री है। प्रतिवादी द्वारा कोई रेकार्डेड साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है कवल मात्र वादिया एवं अन्य द्वारा किये गये बयानो के आधार पर तर्क वितर्क किया गया है गावों में पुराने लोग अधिकांश अनपढ़ होते है जिससे अपनी उम्र का वास्तविक ज्ञान नही होता है इसलिये अनुमानित उम्र बताते है। वादिया 1 वर्ष की थी तब पिता की मृत्यु हो चुकी थी जिसके बाद वादिया की मां सोमाणिया निवासी पेमा के नाते चली गई जिससे अन्य व्यक्तियो के साक्ष्य में वादिया की मां का पति पेमा को बताया गया है। वादिया अधिवक्ता द्वारा वादिया का भामाशाह कार्ड एवं वादिया की माता प्यारी का शपथ पत्र पेश किया गया है जो पत्रावली बहस के स्तर पर होने से न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर नही लिया फिर भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे इग्नोर भी नही किया जा सकता है। वाद के समर्थन में न्यायिक दुष्टान्त के रूप में आरआरटी 2020 (2) पेज 998 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वगैरा, आरआरटी 2012 (1) पेज 350, आरआरटी 2012 (2) पेज 915 एवं हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 के सम्बन्ध में पेज 138 की प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस मे मुख्य कथन किया कि वादिया के पिता का नाम नंगजीराम नही होकर पेमा की पुत्री है। वादिया भूमि के नम्बर नही बता सकती गवाहो द्वारा वादिया की मां का नाम अलग अलग बताया है वादिया क्लीयर हेण्ड से नही आयी है। वादिया का वाद खारीज फरमावे।

प्रकरण में वादपत्र व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की कई जो निम्नानुसार है।

1. आया राजस्व ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर मे पुरानी आ.स. 2010 रकबा 5 बीघा 5 बीस्वा मे वादिया है के पिता का 1/2 हिस्सा था संवत 2020 में वादिया के पिता स्व. नंगजी का नाम रेकार्ड से हटा दिया गया तथा स्व. हजारी नाम गलत दर्ज कर दी गई वादिया
2. आया वादिया के पिता स्व. नंगजी के बडे भाई स्व. हजारी के नाम पर संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी आ. स. 166/7 रकबा 5 बीघा दर्ज थी तथा मृतक स्व. नंगनी व हजारी की एक मात्र वारिस में वादिया हुँ। वादिया
3. आया वाद पत्र की कलम संख्या एक व तीन में वर्णित कृषि भूमियो को प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर गलत अंकित कर दी प्रतिवादी नारायण स्व.गेनानी का जायन्दा पुत्र होकर स्व. गेना जी श्री कृषि भूमियो पर काबिज तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादिया
4. आया वादिया वर्तमान आ.स. 165 रकबा 1.13 है0 में वादिया 1/2 हिस्से एवं आ.स. 466 रकबा 1.08 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी काश्तकार घोषित कराने की अधिकारीणी है। वादिया
5. आया वादिया चाह संख्या 105 रकबा 0.03 है0 मे 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की अधिकारीणी है। वादिया
6. आया वादिया प्रतिवादीगणो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है। वादिया
7. आया वादिया स्व. नंगजी की पुत्री नहीं होने से उसका वादग्रस्त भूमियो में कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी
8. दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. आया राजस्व ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर मे पुरानी आ.स. 2010 रकबा 5 बीघा 5 बीस्वा मे वादिया है के पिता का 1/2 हिस्सा था संवत 2020 में वादिया के पिता स्व. नंगजी का नाम रेकार्ड से हटा दिया गया तथा स्व. हजारी नाम गलत दर्ज कर दी गई वादिया

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया पर था जिसके समर्थन में वादीया ने जमाबंदी संवत 2010 से 2012 के खाता संख्या 30की जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की गई जिसमे साबिक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि हजारी नंगजी पिता लक्ष्मण के नाम 1/2 हिस्सा, घीसा गोकल पिता गिरधारी 1/2 बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है जो उक्त आराजी चाह संख्या 75 से सिचिंत होना जमाबन्दी में दर्ज है। और वादिया ने अपने बयान में भी इसी बात को दोहराया है इसके विरूद्व प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित हो की उक्त भूमि नंगजीराम के नाम दर्ज नही हो। इसके बाद संवत 2030 से 2033 की जमाबन्दी प्रदर्श 2 पेश की गई जिसमें नंगजीराम का नाम नही होकर जहारी पिता लक्ष्मण के नाम 1/2 एवं गोकल पिता गिरधारी 1/2 बलाई के नाम दर्ज है इससे प्रमाणित है कि इस बीच में नंगजीराम का नाम हटाया जाकर नंगजीराम के हिस्से की भूमि हजारी के नाम दर्ज हुई है। इस आधार पर तनक संख्या 1 का निर्णय बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 किया जाता है।

2. आया वादिया के पिता स्व. नंगजी के बडे भाई स्व. हजारी के नाम पर संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी आ. स. 166/7 रकबा 5 बीघा दर्ज थी तथा मृतक स्व. नंगनी व हजारी की एक मात्र वारिस में वादिया हुॅ। वादिया

इस तनकि को साबिक कराने का भार वादिया पर था जिसके समर्थन में वादिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिसे हजारी की वारीस हो। जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 प्रदर्श 3 पेश की गई जिसमे साबिक आराजी संख्या 166/7 रकबा 5 बीघा भूमि हजारी पिता लक्ष्मण के नाम दर्ज होकर इन्तकाल नम्बर 243 दिनांक 21.02.1985 से हजारी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त आराजी मृतक हजारी को आवंटित हुई है आवंटित भूमि हजारीजी की स्वअर्जित भूमि है जिसकी वादिया रेकार्ड के अभाव में नंगजीराम के अलावा हजारी की वारीस नही मानी जा सकती है। इस तनकि का आंशिक निर्णय वादिया के पक्ष किया जाता है।

3. आया वाद पत्र की कलम संख्या एक व तीन में वर्णित कृषि भूमियो को प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर गलत अंकित कर दी प्रतिवादी नारायण स्व.गेनाजी का जायन्दा पुत्र होकर स्व.गेना की कृषि भूमियो पर काबिज तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादिया

इस तनकि के समर्थन में वादिया द्वारा जमाबंदी 2048 से 2051 प्रर्दश 4 पेश की जिसके खाता संख्या 52 पर नारायण पिता गेना पन्ना बरदा पिता भैरा के नाम पर साबिक आराजी संख्या 154/2 रकबा 2 बी[illegible] बिस्वा [illegible]कार्ड है जिससे प्रमाणित है कि नारायण स्व. गेनाजी का जायन्दा इकलोता पुत्र है। [illegible] इसी रोटेशन में खाता संख्या 54 पर नारायण मुतबन्ना हजारी 1/2 हिस्से के रूप में [illegible]बक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज है। नामान्तरकरण [illegible] 284 प्रदर्श 5 के अनुसार साबिक आराजी संख्या 166/7 रकबा 5 बीघा एवं साबिक आराजी स[illegible] 120 रकबा 5 बीघा 5 बस्वा भूमि हजारी पिता लक्ष्मण के बजाय नारायण मुतबन्ना हजारी बलाई के नाम दर्ज हुई है जिससे इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

तनकी को साबित कराने में वादीया आंशिक सफल रहने से इस तनकी का निणर्य आंशिक बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 किया जाता है।

4. आया वादिया वर्तमान आ.स. 165 रकबा 1.13 है0 में वादिया 1/2 हिस्से एवं आ.स. 466 रकबा 1.08 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी काश्तकार घोषित कराने की अधिकारीणी है। वादिया

इस तनकी को साबित कराने का भार वादिया के जिम्मे था। नवीन आराजी संख्या 165 रकबा 1.13 है0 भूमि जो साबिक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि जमाबन्दी रोटेशन 2010 से 2012 प्रदर्श 1 के अनुसार श्री हजारी नंगजी पिता लक्ष्मण 1/2 के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादिया नंगजीराम की पुत्री के रूप में अपने नाम कराना चाहती है इसके साथ हजारी पिता लक्ष्मण के नाम की भूमि भी अपने नाम चाहती है किन्तु इस तनकी के समर्थन में वादिया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादिया हजारी की वैधानिक विधिक वारीस हो। इस आधार पर नंगजीराम के हक हिस्से की सीमा तक उक्त तनकी का निर्णय नवीन आराजी संख्या 165 रकबा 1.13 है0 भूमि में 1/4 हिस्से तक बहक वदिया विरूद्व प्रतिवादी किया जाता है।

5. आया वादिया चाह संख्या 105 रकबा 0.03 है0 मे 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की अधिकारीणी है।

वादिया

इस तनकी को साबिक कराने का भार वादिया पर होने से वादिया द्वारा सवंत 2010 से 2012 जमाबंन्दी प्रदर्श 1 पेश की जिसके खाता संख्या 29 पर हजारी नंगजी पिता लक्ष्मण 1/4 बलाई के रूप में दर्ज है। जिसमें वादिया के पिता नंगजीराम का 1/8 हिस्सा बनता है जिससे उक्त सीमा तक (आशिंक रूप से) इस तनकी का निर्णय बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किया जाता है।

6. आया वादिया प्रतिवादीगणो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

वादिया

उक्त तनकी का सम्बन्ध तनकी संख्या 1 से 5 से भी है जिसका निर्णय तनकीवार उपर दिया गया है जिसके आधार पर वादिया नवीन आराजी संख्या 165 रकबा 1.13 है0 में 1/4 हिस्से तक एवं चाह संख्या 105 रकबा 0.03 है0 में 1/8 हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी होने से इस तनकी का निर्णय बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 किया जाता है।

7. आया वादिया स्व. नंगजी की पुत्री नही होने से उसका वादग्रस्त भूमियो में कोई अधिकार नही है।

प्रतिवादी

इस तनकी को साबिक कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था जिसके समर्थन में प्रतिवादी 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता हो कि वादिया नंगजीराम की पुत्री नही है। प्रतिवादी द्वारा केवल मात्र अपने जवाब में वाद को अस्वीकार करते हुए वादिया को नंगजी[illegible] की पुत्री [illegible] अंकित कर सोमाणिया निवासी पेमा की लड़की होना एवं इसकी मां का नाम प्यारीब[illegible] बता[illegible] जो सोमाणिया निवासी पेमा की पत्नि है। इस सम्बन्ध में वकील वादिया का कथन है कि वादिया का पिता नंगजीराम फोत होने के बाद वादिया की माता द्वारा [illegible] के साथ नाता विवाह करने से वर्तमान में उसके नातायत पति का नाम पेमा है।

8. दादरसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवरण के आधार पर एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड, गवाहो के बयान के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादवर्णित भूमि साबिक रेकार्ड में हजारी, नंगजीराम पिता लक्ष्मण के नाम साबिक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड थी जिसकी जमाबन्दी वादिया के द्वारा प्रस्तुत की गई उसके बाद आराजी संख्या 166/7 रकबा 5 बीघा भूमि हजारी पिता लक्ष्मण के नाम वर्ष 1974 में आवंटित हुई जिसे 1985 में खातेदारी अधिकार मिला है जो भूमि हजारी की स्वअर्जित भूमि है हजारी की स्वअर्जित भूमि के सम्बन्ध में वादिया के पास अपने नाम दर्ज कराने का कोई दस्तावेज नही है और न यह भूमि वादिया की पैतृक है। वादिया की पैतृक भूमि साबिक आराजी संख्या 120 जिसके नवीन खसरा नम्बर 165 रकबा 1.13 है0 एवं 105 रकबा 0.03 है0 गे.मु चाह हैं जिसमें वादिया के पिता का नाम दर्ज होने से वादिया की पैतृक भूमि है। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता हो की वादिया के पिता नाम पेमा दर्ज हो। प्रतिवादी नारायण के द्वारा स्वयं अपने बयान में कहा कि नंगजीरामजी की मृत्यु मेरे जन्म से पूर्व हो चुकी थी इससे मुझे पता नही कि नंगजीरामजी के कोई लड़की हो। जबकि वादिया द्वारा अपने दावे में एवं शपथ पत्र एवं बयान में कहा कि मेरे पिता की मृत्यु कितने साल पहले हुई में नही बता सकती लेकिन मेरे पिता की मृत्यु के समय में 1 वर्ष की थी। मां का नाम प्यारी बताया जो सोमाणिया निवास कर रही है। इन सब तथ्यो के आधार पर वादिया नंगजीराम की पुत्री है। नंगजीराम के नाम जो भूमि दर्ज रेकार्ड थी वो वादिया की पैतृक भूमि है। वादिया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की वारीस है वादीया द्वारा वाद में अपने पिता नंगजीराम की भूमि के साथ साथ बड़े पिता हजारी की स्वअर्जित भूमि को भी पैतृक भूमि बताकर उक्त भूमि को भी अपने नाम खातेदारी घोषित कराने का पेश किया है जो उचित नही है। वादिया नंगजीराम जी के नाम दर्ज भूमि को ही अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथलुपरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अकिंत साबिक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की नवीन आराजी संख्या 165 रकबा 1.13 है0 में नारायण मुतबन्ना हजारी के 1/2 हिस्से में से वादिया को 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है शेष 1/4 हिस्सा नारायण मुतबन्ना हजारी का रखते हुए शेष खातेदार बदस्तुर जमाबन्दी यथावत रखा जावे। एवं नवीन आराजी संख्या 105 रकबा 0.03 है0 गे.मु.चाह में नारायण मुतबन्ना हजारी के 1/4 के हिस्से में से वादिया को 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है शेष 1/8 हिस्सा नारायण मुतबन्ना हजारी का रखते हुए शेष खातेदार बदस्तुर जमाबन्दी यथावत रखा जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

3.3.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—169/10 (2010/00030) वाद पत्र

उनवान

1—गजरी पुत्री नंगजीराम बलाई निवासी पीथलपुरा हाल नान्दशा जागीर तहसील रायपुर

वादीया

बनाम

1—नारायण आत्मज गेना बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—रामा वल्द गोकल बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—छोगा वल्द पन्ना बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मोहन वल्द बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गोपी वल्द बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—बरदी बेवा बरदा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—झुमा पिता भुरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—मोटा पिता भुरा बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—रतनसिंह पिता बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—शंभुसिंह पिता बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—मूलसिंह पिता बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—मदनकंवर पत्नि बागसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—श्रीमान् तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथलुपरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अंकित साबिक आराजी संख्या 120 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की नवीन आराजी संख्या 165 रकबा 1.13 है0 में नारायण मुतबन्ना हजारी के 1/2 हिस्से में से वादिया को 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है शेष 1/4 हिस्सा नारायण मुतबन्ना हजारी का रखते हुए शेष खातेदार बदस्तुर जमाबन्दी यथावत रखा जावे। एवं नवीन आराजी संख्या 105 रकबा 0.03 है0 गे.मु.चाह में नारायण मुतबन्ना हजारी के 1/4 के हिस्से में से वादिया को 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है शेष 1/8 हिस्सा नारायण मुतबन्ना हजारी का रखते हुए शेष खातेदार बदस्तुर जमाबन्दी यथावत रखा जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.08 16:54:20 IST
Reason: SelfAttested

3.3.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा